राजस्थान–सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः सामा06/पु.रे.शा./16/5665-73 दिनांक 10-3-2016

नीलामी विज्ञप्ति

सर्व रद्दी क्रेताओं को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सामा. 6/पु.अ.शा./2016/3153 दिनांक 5.2.16 के क्रम में इस कार्यालय की विभिन्न शाखाओं से प्राप्त अभिलेख व रेकार्ड लगभग 5600 पत्रावलियां अनुमानित वजन 100 क्विंटल की नीलामी की जानी है। नीलामी के पश्चात समस्त रेकार्ड के टुकड़े किये जाकर लुग्दी बनाये जाने हेतु उपयोग में ली जानी है।

नीलामी दिनांक 6.4.2016 को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर के परिसर में की जावेगी। इच्छुक बोलीदाता दिनांक 6.4.2016 को 2.00 **pm** तक धरोहर राशि रू. 5000 जमा कराई जाकर बोली में भाग ले सकते है। स्वीकृत बोली दाता को नीलामी पश्चात नीलामी की सम्पूर्ण राशि मय कर एकमुश्त जमा करानी होगी। नीलामी बोली को स्वीकृत करना /नहीं करना/रद्द करने का अधिकार कमेटी के पास रहेगा।

(रामेश्वर प्रसाद शर्मा)
उपनिदेशक

क्रमांकः सामा06/पु.रे.शा./16/5665-73 दिनांक 10-3-2016

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ दी जाती है–

1–श्री कैलाश सोफिया स्कूल के पीछे, भोपों का बाड़ा ,अजमेर।
2–श्री नेमीचन्द टांक सोफिया स्कूल के पीछे, भोपों का बाड़ा ,अजमेर।
3–श्री प्रकाश **AIT** कॉलेज के पास पुष्कर बाईपास,अजमेर।
4–श्री सतीश 9 नं. पेट्रोल पम्प के पास नगरा, अजमेर।
5–श्री खेमचन्द ,मालियों की बगीची, पहाड़गंज, अजमेर।
6–श्री भगवानदास , मालियों की बगीची ,पहाडगंज, अजमेर।
7–श्री चेतनदास,डबल स्टोरी मदार,अजमेर।
8–श्री ....अभिलेख नष्ट/निस्तारण समिति निदेशालय, अजमेर।
9–कार्यालय अधीक्षक आयुर्वेद निदेशालय ,अजमेर।
10–कार्यालय सूचना पट्ट।
11. प्रभारी कम्प्यूटर शाखा

उपनिदेशक

कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग ,राजस्थान–अजमेर

पुरातन अभिलेख नीलामी की शर्ते

1– सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियम पार्ट II के नियम 22(2) के अन्तर्गत पुरातन अभिलेख डिस्पोजल/नीलाम किया जावेगा। इस सम्बन्ध में दिनांक द्वारा गठित विभागीय समिति द्वारा नीलामी की सम्पूर्ण कार्यवाही की जावेगी।

2– बोली दाता को बोली लगाने से पूर्व रू. 5000 नकद बयाना राशि (अर्नेट मनी) के रूप में जमा करवाना अनिवार्य होगा। बोली प्रारम्भ होने के पश्चात किसी भी परिस्थितियों में धरोहर राशि स्वीकार नहीं होगी।

3– पुरातन अभिलेख के लिये नीलामी हेतु प्रारम्भिक न्यूनतम सरकारी बोली 500/– रूपया प्रति क्विटंल (पॉच सौ रूपया प्रति क्विटंल) नियत की जाती है।

4– नीलामी समाप्ति के बाद उच्च बोली दाता को वजन करना प्रारम्भ करना होगा व वजन समाप्ति पश्चात उसी दिन नीलामी की सम्पूर्ण राशि मय कर जमा करवाना अनिवार्य होगा।

5– नीलाम हुए रेकार्ड के वजन करने की व्यवस्था स्वीकृत बोली दाता को स्वंय के खर्च पर करनी होगी व वजन विभागीय अधिकारियों के समक्ष करना होगा। नीलाम योग्य अभिलेख (रेकार्ड) की गोपनीयता बनाये रखने की दृष्टि से समस्त अभिलेख के टुकडे–टुकडे करके उसे विभागीय समिति को अवलोकन कराना होगा तथा अभिलेख को कोई भी कचरा शेष नहीं छोड़ा जावेगा। समस्त रद्दी/कचरा 7 दिवस में अनिवार्य रूप से उठाना होगा।

6– अधिकतम बोलीदाता को 10 रूपये के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का एक शपथ पत्र सहमति के रूप में विभाग को लिख कर देना होगा, कि बोली योग्य समस्त अभिलेख को टुकड़ों–टुकड़ों में विभाजित किया जाकर उसे गलाया जाकर उसकी लुग्दी बनाकर पुनः पेपर (कागज) निर्माण के कार्य में ही लिया जावेगा।

7– पेपर मिल्स से लुग्दी का प्रमाण पत्र 15 दिन में ला कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8– नीलामी की उक्त शर्तो में संशोधन/परिवर्तन तथा शर्ते निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा जिसे बोलीदाता को मान्य होगा।

9– नीलामी बोली को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने /रद्द करने का अधिकार कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा।

उपनिदेशक